



जनपद गाजीपुर (उ०प्र०) में भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन

□ बबबन कुमार*

डॉ० संजीव कुमार चौबे**

भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भौगोलिक सन्दर्भ में 'भूमि' की परिभाषा धरातल, वायुमण्डल और समुद्र के त्रिविमिय रूप में की जाती है। इस प्रकार भूमि केवल ठोस धरातल का पर्याय ही बनकर नहीं रह गई है, इसका विस्तार मिट्टी की पतली परत और धरातल के नीचे खनिजों तक भी है। मानव की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में भूमि अपनी क्षमता के नुसार एक संसाधन के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। इस स्थिति में क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग का वहां की आर्थिक—सामाजिक समस्याओं के समाधान एवं क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

जब भूमि का उपयोग मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर रहा होता है तो उस भू-भाग के लिए भूमि उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका वर्तमान रूप प्रकृति एवं मानव की दीर्घकालीन प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है³।

अध्ययन क्षेत्र : जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग पर वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत 25019' उत्तरी अक्षांश से 25054' उत्तरी अक्षांश एवं 8304' से 83058' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3377 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूरब से पश्चिम लम्बाई 90 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है। इस जनपद के द०—प० तथा मध्य द०—पूर्वी भाग में गंगा नदी प्रवाहित होती है। द०—पूर्वी भाग में कर्मनाशा नदी प्रवाहित होती है। कर्मनाशा नदी जनपद को बिहार प्रान्त से अलग करती है। जनपद गाजीपुर पूरब में जनपद बलिया एवं बिहार प्रान्त का जनपद बक्सर, पश्चिम में जौनपुर,

वाराणसी व आजमगढ़, उत्तर में मऊ तथा बलिया जनपद से घिरा है। जनपद में सतत नदियों में गंगा, कर्मनाशा एवं गोमती है, जो जनपद की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। प्रशासनिक दृष्टि से वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद कुल पाँच तहसीलें क्रमशः तहसील गाजीपुर (664.92 वर्ग किमी०), तहसील सैदपुर (579.75 वर्ग किमी०), तहसील मुहम्मदाबाद (585.45 वर्ग किमी०), तहसील जमानिया (771.25 वर्ग किमी०) एवं तहसील जखनियां (517.73 वर्ग किमी०) में विभक्त है। जनपद गाजीपुर में तीन नगरपालिका परिषद—गाजीपुर, मुहम्मदाबाद और जमानिया हैं जबकि जनपद में कुल पाँच नगर पंचायत क्षेत्र—सैदपुर, बहादुरगंज, दिलदार नगर, सादात और जंगीपुर है।

अध्ययन विधि : प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ों का उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण एवं व्याख्या प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्ययन उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य मानव की दीर्घकालीन प्रक्रियाओं का प्रतिफल के रूप में अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रारूप की वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करना है।

भूमि उपयोग स्वरूप का वर्गीकरण : प्राचीन काल में भूमि सम्बन्धी पद्धतियों का लागू होना तत्कालीन सामाजिक—आर्थिक और भौगोलिक तत्त्वों के प्रभाव का ही परिणाम था। आधुनिक वैज्ञानिक युग में सभी उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु नित नई तकनीकी ज्ञान एवं संयंत्रों की खोज तथा विकास किया जा रहा है।

*शोध छात्र — भूगोल विभाग, सतीश चन्द्र पी०जी० कालेज, बलिया, उ०प्र०

**असि०प्र० — भूगोल विभाग, सतीश चन्द्र पी०जी० कालेज, बलिया, उ०प्र०

तालिका संख्या - 01
गाजीपुर जनपद में विभिन्न दशकों में भू-उपयोग का विवरण

| fooj.k | o"kZ&1999&00 | | o"kZ&2009&10 | |
|------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | {ks=Qy ¼gs0 esiaf'kr | esiaf'kr | {ks=Qy ¼gs0 esiaf'kr | esiaf'kr |
| ou {ks= | 0 | 0 | 121 | 0.04 |
| d`f`k ;ksX; catj Hkwfe | 4321 | 1.30 | 3541 | 1.06 |
| orZeku ijrh Hkwfe | 11981 | 3.59 | 15740 | 4.72 |
| vU; ijrh Hkwfe | 4908 | 1.47 | 3202 | 0.96 |
| mlj ,oa d`f`k v;ksX; Hkwfe | 4676 | 1.46 | 2979 | 0.89 |
| d`f`k ds vfrfjDr Hkwfe | 39424 | 11.83 | 49123 | 14.74 |
| pkjkxkg Hkwfe | 898 | 0.27 | 809 | 0.24 |
| vU; cks]o`{k]pkjkxkg vksf'kr | 3885 | 1.07 | 3402 | 1.02 |
| cks;k x;k {ks= | 263216 | 78.99 | 254297 | 76.3 |
| ;ksx tuin | 333209 | 100.00 | 333214 | 100.00 |

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका गाजीपुर वर्ष 2000 एवं 2011.

भूमि-उपयोग भी इस प्रकार की उपलब्धियों से प्रभावित होता है। विश्व के विभिन्न देशों में भूमि उपयोग की विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है। विश्व के विभिन्न देशों में भूमि उपयोग हेतु मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का उपयोग होता है।

अध्ययन क्षेत्र में तालिका संख्या 01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद गाजीपुर में वर्ष 1999-00 की तुलना वर्ष 2009-10 में विभिन्न मदों के उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है। विकासखण्ड स्तर पर भूमि उपयोग प्रारूप का विवरण तालिका संख्या-02 से स्पष्ट है। (मानचित्र संख्या 01)।

1. वन क्षेत्र : किसी विधि या अधिनियम के अन्तर्गत वन क्षेत्र के रूप में विभक्त की गई भूमि या वन के रूप में संचालित की गई भूमि वन भूमि कहलाती है। चाहे वह


भूमि राज्य की हो या किसी निजी व्यक्ति की। अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर में वन क्षेत्र वर्ष-1999-00 के अनुसार पूर्णतः शून्य है, जबकि वर्ष-1999-00 के अनुसार वन क्षेत्रफल 121 हे० हो गया है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार वन क्षेत्रफल सबसे अधिक सदात विकासखण्ड में (39हे०) और सबसे कम मरदह विकासखण्ड में (1हे०) है, जबकि करण्डा, कासिमाबाद, मोहम्मदाबाद और भावैरकोल विकासखण्ड में शून्य है।

2. कृषि योग्य बंजर भूमि : वर्तमान वर्षों में विगत 5 वर्षों से या लगातार कई वर्षों से जिस भूमि पर कृषि नहीं की गई है यद्यपि कि वह भूमि कृषि योग्य है कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत शामिल की जाती है। अध्ययन जनपद में वर्ष 1999-00 में कृषि योग्य बंजर भूमि का कुल क्षेत्र 4321 हेक्टेयर है जो वर्ष 2009-10 में

परीशिष्ट तालिका संख्या -02
गाजीपुर जनपद में विकासखण्डवार भू-उपयोग का विवरण, वर्ष-2009-10 व क्षेत्रफल हेक्टेयर में

| fodk[k.M | {ks=Qy | ou {ks= | d'f'k ;ksXorZeku catj Hkwj | vU; ijrh Hkwj | mlj ,oa d'f'k ds v;ksX; Hkwj | pkjkkjksfir ckk Hkwj | pkjkkjksfir ckk Hkwj | ks; k x; k {ks= |
|------------|--------|---------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| efugkj | 22393 | 10 | 421 | 142 | 194 | 90 | 103 | 15453 |
| lknkr | 22200 | 21 | 472 | 232 | 214 | 131 | 135 | 16800 |
| ISniqj | 21854 | 39 | 511 | 210 | 230 | 191 | 85 | 16339 |
| nsodyh | 22117 | 12 | 221 | 229 | 130 | 112 | 138 | 15896 |
| fojuksa | 15401 | 9 | 183 | 241 | 275 | 77 | 152 | 16820 |
| ejng | 18469 | 7 | 163 | 174 | 81 | 39 | 83 | 12613 |
| xkthiqj | 15874 | 1 | 389 | 251 | 117 | 62 | 130 | 14881 |
| djUMk | 15439 | 2 | 169 | 163 | 311 | 6 | 134 | 11207 |
| dkfleckn | 22745 | 0 | 119 | 148 | 245 | 5 | 176 | 11478 |
| cM+kpkvj | 19919 | 0 | 231 | 392 | 131 | 39 | 312 | 18255 |
| eksgEenckn | 7369 | 3 | 115 | 182 | 124 | 46 | 415 | 15740 |
| Hkkaojdksy | 25111 | 0 | 104 | 138 | 123 | 4 | 229 | 14161 |
| tefu;ka | 27044 | 0 | 36 | 287 | 93 | 0 | 383 | 19826 |
| jsorhiqj | 22738 | 8 | 144 | 97 | 597 | 5 | 208 | 20604 |
| HknkSjk | 20925 | 4 | 93 | 93 | 56 | 1 | 254 | 17232 |
| | | 4 | 149 | 130 | 48 | 1 | 414 | 15972 |
| | | 120 | 3520 | 3109 | 2969 | 47718 | 809 | 3351 |
| | | 1 | 21 | 93 | 10 | 1405 | 0 | 51 |
| | | 121 | 3541 | 3202 | 2979 | 49123 | 809 | 3402 |
| | | | | | | | | 253337 |
| | | | | | | | | 960 |
| | | | | | | | | 254297 |

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिकाएं, गाजीपुर वर्ष-2010-11



घटकर 3541 हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार जनपद में कृषि योग्य बंजर भूमि के क्षेत्रफल में 18.05 प्रतिशत की कमी हुई है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक सदात विकासखण्ड में (511 हे0) और सबसे कम भावैरकोल विकासखण्ड में (36 हे0) है।

3. वर्तमान परती भूमि : वर्तमान वर्ष में परती भूमि को

वर्तमान परती भूमि कहते हैं। अध्ययन जनपद में वर्ष 1999-00 में वर्तमान परती भूमि का कुल क्षेत्रफल 11981 हेक्टेयर है जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 15740 हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार जनपद में वर्तमान परती भूमि के क्षेत्रफल में 31.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार वर्तमान परती भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक रेवतीपुर विकासखण्ड में (1603 हे0) और

सबसे कम मोहम्मदाबाद विकासखण्ड में (467 हे०) है।
4. अन्य परती भूमि : जब अस्थाई रूप से एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम अवधि से किसी भूमि पर कृषि का न होना अन्य परती भूमि कहलाती है। अध्ययन जनपद में वर्ष 1999-00 में वर्तमान अन्य परती भूमि का कुल क्षेत्रफल 4908 हेक्टेयर है जो वर्ष 2009-10 में घटकर 3202 हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार जनपद में वर्तमान परती भूमि के क्षेत्रफल में 34.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार अन्य परती भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक कासिमाबाद विकासखण्ड में (392 हे०) और सबसे कम रेवतीपुर विकासखण्ड में (93 हे०) है।

5. ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि : इसमें वह भूमि शामिल की जाती है, जो पूर्णतया अकृषित है। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1999-00 के आधार पर ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल 4876 हे० (1.46 प्रतिशत) था, जो वर्ष 2001 में घटकर 2979 हे० (0.89 प्रतिशत) रह गया है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक जमानिया विकासखण्ड में (597 हे०) और सबसे कम भदौरा विकासखण्ड में (48 हे०) है। जनपद में ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि में कमी का मुख्य कारण ऐसी भूमि पर आवास या कृषि का विस्तार है।

6. बोया गया क्षेत्र : इसके अन्तर्गत बोयी गई सम्पूर्ण भूमि को शामिल किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में बोया गया क्षेत्र वर्ष 1999-00 में 263216 हे० (78.99 प्रतिशत) था, जो वर्ष 2009-10 में 254297 हे० (76.3 प्रतिशत) हो गई है। जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल की दृष्टि से बोये गये क्षेत्र में वर्ष 1999-00 की तुलना में 2009-10 में कमी हुई है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार बोया गयी भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक जमानिया विकासखण्ड में (20679 हे०) और सबसे कम गाजीपुर विकासखण्ड में (11207 हे०) है।

7. कृषि के अतिरिक्त भूमि : आवासीय क्षेत्र, जल भूमि, नहरें, सड़क, रेलमार्ग आदि के अन्तर्गत आने वाली

भूमि को कृषि के अतिरिक्त भूमि में शामिल किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि का क्षेत्रफल वर्ष 1999-00 में 39424 हे० (11.83 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 49123 हे० (14.74 प्रतिशत) हो गया है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि और उसके लिए आवासीय और अवस्थापनात्मक सुविधा में वृद्धि है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार कृषि के अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक जमानिया विकासखण्ड में (5173 हे०) और सबसे कम विरनों विकासखण्ड में (1521 हे०) है।

8. रोपित बाग, वृक्ष, एवं झाड़ियाँ : वह भूमि जिस पर संहत रूप से उगने वाले वृक्ष, घास तथा झाड़ियाँ मिलती हैं उसे बाग, वृक्ष, झाड़ियाँ भूमि कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र में बाग, वृक्ष, झाड़ियों के क्षेत्र वर्ष 1999-00 में 3585 हे० (1.07 प्रतिशत) था, जो वर्ष 2009-10 में 3402 हे० (1.02 प्रतिशत) हो गई है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार बाग, वृक्ष, झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक बड़ाचावर विकासखण्ड में (415 हे०) और सबसे कम विरनों विकासखण्ड में (83 हे०) है।

9. चारागाह भूमि : चारागाह भूमि में रथाई और अस्थाई चारागाह या घास के मैदान शामिल किये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में चारागाह भूमि का क्षेत्र वर्ष 1999-00 में 898 हे० (0.27 प्रतिशत) था, जो वर्ष 2009-10 में 809 हे० (0.24 प्रतिशत) हो गई है। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष-2009-10 के अनुसार चारागाह भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक सदात विकासखण्ड में (191 हे०) और सबसे कम भावरकोल विकासखण्ड में (0 हे०) है।

जनपद में भूमि पर खासकर कृषि भूमि पर जनसंख्या वृद्धि के दबाव के फलस्वरूप जहां एक ओर कृषि भूमि का हर सम्भव विस्तार जारी है वहीं गहन वैज्ञानिक कृषि से भी उत्पादन में वृद्धि हुई है। सामाजिक-आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के कारण भू-आर्थिक संरचना में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है।

सन्दर्भ सूची :

1. सिंह, ए० के०, 1990 : "गाजीपुर जनपद में भूमि संसाधन एवं जनसंख्या संतुलन", अप्रकाशित शोध प्रबंध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2. गिब्स, जे० पी०, 1961 : "अर्बन रिसर्च मेथड्स", न्यू देलही, पृ० 107.पृ० 90.
3. तिवारी, पी०डी०, 1989 : "भूमि उपयोग प्रतिरूप, पोषण की स्थिति एवं कृषि विकास की सम्भावनायें ; ग्राम-ककरा, जिला-दमोह (मध्यप्रदेश) एक प्रतीक अध्ययन", भू-विज्ञान अंक-4, सं०-1, एन०जी०एस०आई०, वाराणसी, पृ० 52।
4. चन्देल, आर०एस० व सिंह,वी०आर० 1992 : "भारतीय शुष्क कृषि पद्धति की समस्यायें एवं सम्भावनायें एक विश्लेषणात्मक अध्ययन", भू-विज्ञान, अंक - 7 संख्या, 1-2।
5. सिंह, जशवीर व डिल्लन, एस०एस० 2005 : "एग्रीकलचर ज्योग्राफी", टाटा मैकग्रा हील पब्लिकेशन,दिल्ली ,पेज-396.